Indian J Soc. & Pol. 12 (02) : 107-112: 2025
JULY 2025

ISSN : 2345-0084 (PRINT)
ISSN : 2455-2127 (ONLINE)

ग्रामीण आर्थिक विकास पर मनरेगा योजना के प्रभाव का अध्ययन
(उ.प्र. राज्य के बस्ती जिले के विशेष संदर्भ में)

स्नेहा यादव[1]

[1]शोधार्थिनी ,राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,अमरकंटक,मध्य–प्रदेश,भारत

ABSTRACT

प्रस्तुत शोधपत्र में मनरेगा के महत्व एवं उसके प्रभाव का मूल्यांकन बस्ती जिले के संदर्भ में किया गया है । मनरेगा अकुशल कामगारों के आर्थिक स्रोत का महत्वपूर्ण साधन है जिसमें अधिकतम कृषि से संबंधित व्यक्ति कार्य करते है, क्योंकि भारत के अधिकतम हिस्सों में मौसमी कृषि की जाती है जिसमें बस्ती जिला का स्थान प्रमुख है इसलिए कृषि कार्य से जो भी समय शेष बचता है उसमें वे मनरेगा का कार्य करते हैं । बस्ती जिले में इसका क्रियान्वयन तो हो गया है परंतु इसका पूरी तरह से लाभ नहीं दिया जा रहा है । ग्राम प्रधान के नजदीकी लोगों का पंजीकरण हो जाता है और जिन मजदूरों के द्वारा इसमें काम किया जाता है वे गाँव का कार्य ना करके प्रधान का व्यक्तिगत कार्य करते है । इस योजना में इन सभी समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

KEYWORDS: *मनरेगा, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास, लोक कल्याणकारी राज्य, अकुशल मजदूर*

भारत एक विकासशील देश के साथ–साथ गांवों का देश है। जहां देश की कुल आबादी की 68.84प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है(जनगणना 2011)। गांव की अधिकांश आबादी आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है क्योंकि इनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही रही है इसलिए यहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। कृषि प्रधान देश होने से यहां ग्रामीण अंचलों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है (पाठक, 2010) । प्राचीन काल से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करती थी। इस संदर्भ में प्रमुख राजनीतिज्ञ,अर्थशास्त्री चिंतक कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिए जाने का उल्लेख किया है। देश की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा अंश ग्रामीण क्षेत्र का होने के उपरान्त भी भारतीय गांव विकास की दौड़ में आज भी पीछे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 दशक बाद भी विकास के उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अधिक पिछड़ी अवस्था में है विश्व असमानता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का 2 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत धनी लोगों के पास है जबकि शेष 10 प्रतिशत लोगों के पास आय का 57 प्रतिशत हिस्सा है। इस रिपोर्ट में संपत्ति का वितरण लैंगिक असमानता, औषत घरेलू संपत्ति को मानक के रूप में मापा जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप रिपोर्ट के अनुसार यह असमानता लगातार तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया मानव विकास सूचकांक जो किसी भी देश की प्रगति में एक उचित माप के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें मानव विकास सूचकांक 2020 के कुल 189 देशों की सूची में भारत 131वें पायदान पर रहा है। इस मापक सूची में किसी भी देश की प्रगति के तीन पूर्व बुनियादी आयामों जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय (जीवन के स्तर) को मानक के रूप में मापा जाता है। यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड–19 महामारी के दीर्घकालीन परिणामों के चलते दुनिया में 2030 तक 20.70 करोड़ लोग घोर गरीबी की चपेट में जा सकते हैं (hdr-undp-org)। वहीं विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय वर्ष 2021–22 के सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमान को अप्रैल में अनुमानित 10.1 प्रतिशत से घटाकर 8.3 प्रतिशत कर दिया है (www-worldbank-org)। इस तरह देश की ग्रामीण आर्थिक विकास में संचालित योजना मनरेगा से उत्पन्न प्रभावों की मात्रा और दिशा का आकलन करना आवश्यक है, क्योंकि इस अधिनियम के व्यापक परिणाम होने की संभावना है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए ड्रेज ने तो यहां तक कहा कि मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी प्रदान करके 'निजी नियोक्ता की तानाशाही' को तोड़ने की क्षमता है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी (ड्रेज,2010)।

वैश्वीकरण के दौर में शहर विकास की धुरी बन कर उभरे हैं। परिणाम स्वरूप गांव एवं शहर के मध्य अंतर को पाटने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना भारतीय संविधान के भाग –4 के अनुच्छेद 36–51 तक राज्य के नीति– निर्देशक तत्व को रखा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को सुखी तथा समृद्ध बनाना है कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन का विशेष महत्व होता है। प्रशासन नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आज के युग में

1: Corresponding Author

राज्य का उद्देश्य एक ऐसी समतावादी समाज व्यवस्था को स्थापित करना है जहां पर सभी व्यक्ति समान हो सभी को अवसरों की समानता तथा विभिन्न क्षेत्रों सामाजिक वर्गों एवं लोगों में विषमता ना हो (रंजन,2016)। धन–सम्पत्ति के समान वितरण तथा जो लोग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ हैं उनकी सहायता करने के सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 41–43 राज्य को सभी नागरिकों के लिए काम का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा मामृत्व राहत और एक कुशल जीवन स्तर सुरक्षित करने के प्रयास करने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 43 राज्य में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी देता है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन जैसी जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए स्वतंत्रता पश्चात से सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन एवं विकास हेतु 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित किए गए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों को पूरा करने में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है (द्विवेदी, 2015)। जिनमे जवाहर योजना, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना इत्यादि मुख्य रहे हैं।इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों को रोजगार के अवसर तो प्राप्त हुए परंतु उन्हें गारंटी युक्त रोजगार नहीं मिल सका। पहली बार रोजगार की गारंटी को कानूनी रूप में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' 2005, में दिया गया जिससे 2 फरवरी 2006 में 'नरेगा' योजना के रूप में लागू किया गया वर्ष 2009–10 के दौरान एक संशोधन के माध्यम से नरेगा को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' में परिवर्तित कर 'मनरेगा' नया नाम दिया गया। मनरेगा योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल, शारीरिक श्रम कार्य करने के इच्छुक हों उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी जिसके लिए प्रतिदिन की राशि राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है (बग्गा, वैष्णव, 2017)।

अतः लोककल्याणकारी राज्यों में प्रशासन के द्वारा विकास कार्यक्रमों में आम जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह कार्यक्रम जनता के हित मे बनाये जाते हैं।आर्थिक विकास योजनाएं शासन एवं प्रशासन के परस्पर सहयोग से संचालित किये जाते हैं। प्रशासन देश की आर्थिक प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है जो देश की आर्थिक विकास एवं प्रशासन के मध्य परस्पर सम्बन्धों को दर्शाते हैं(शर्मा,2010)। ऐसे में लगभग डेढ़ दशक से चल रही मनरेगा योजना का आकलन करने का यह सही समय है जिससे प्रशासन के द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों के विकास एवं जन–कल्याण हेतु आर्थिक विकास की दिशा में योजना की सफलता एवं असफलता के परिणामों को ज्ञात किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र की समस्याएं

मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आर्थिक विकास की दिशा में लाई गई मुख्य कार्यक्रम है। यह रोजगार की गारंटी देने वाला कानूनी अधिकार एवं रोजगार के अधिकार को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवारों की वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार देने की गारण्टी देना है। वर्तमान में वैश्विक आर्थिक समस्याओं को कम करने में मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है मजदूरों की शहरों से गांव में वापसी से मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों के समक्ष बजट की चुनौतियां उत्पन्न हुई है साथ ही योजना के क्रियान्वयन से निम्न समस्याएं सामने आए हैं। वर्तमान में जहां एक ओर मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा अनेक प्रकार की सृजनात्मक कार्य हेतु ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई विसंगतियां आयी हैं जैसे– मनरेगा के तहत न्यूनतम दिवस का रोजगार उपलब्ध होना, मजदूरी के भुगतान में देरी, अपर्याप्त बजट आवंटन, भ्रष्टाचार, प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों तक कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार में कमी, कार्यों की उपलब्धता में कमी, निर्धारित दिन से कम दिवस का रोजगार प्रदान करना इत्यादि। ऐसे में लगभग डेढ़ दशक से चल रही मनरेगा कार्यक्रम का आकलन करने का यह सही समय है जिससे मनरेगा के द्वारा ग्रामीण श्रम बाजार और ग्रामीण अंचलों में निवासरत जन –जीवन में क्या बदलाव हुए हैं उसे ज्ञात किया जा सके। उपयुक्त समस्याओं को केन्द्रित करते हुये इस शोध पत्र के माध्यम से वर्तमान समय में "ग्रामीण आर्थिक विकास पर मनरेगा योजना के प्रभाव का अध्ययन(उ.प्र. राज्य के बस्ती जिले के विशेष संदर्भ में)का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है।

शोध के उद्देश्य–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक पिछड़ेपन व विकास के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।

2. ग्रामीण विकास पर मनरेगा योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।

बस्ती जिले का अध्ययन क्षेत्र के रूप में परिचय

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन क्षेत्र के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल में स्थित बस्ती जिले का चयन किया गया है। जिसकी कुल आबादी की 94.40 प्रतिशत जनसंख्या ग्रमीण अंचलों से हैं(जनगणना 2011)। इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसके अभिलेख प्राचीन काल में उपस्थित थे, इसके पास का क्षेत्र कौशल के नाम से प्रसिद्ध था। जनपद बस्ती प्राचीन काल में हिमालय के मैदानी भाग में एक गांव था जो जंगल से गिरा था। यहीं पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि वशिष्ठ के साथ कुछ समय के लिए यहां ठहरे थे। समय बीतने और आबादी बढ़ने के साथ जंगल कट जाने से धीरे–धीरे समाप्त हो गया

और यहां की जमीन कृषि के रूप में उपयोग होने लगी। यहां की कृषि भूमि काफी उपजाऊ है। 16 वीं शताब्दी में यहां पर कल्हन राजा का राज्य था। सन 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बना तथा 1865 में जिला मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ। जनपद बस्ती यह जनपद के साथ ही उत्तरप्रदेश के 18 मंडल में से बस्ती मंडल भी है जिसके अंतर्गत उत्तरप्रदेश के 3 जनपद बस्ती सिद्धार्थनगर और सन्तकबीरनगर शामिल है यह जिला उत्तरप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जिले के पूर्व में संतकबीरनगर और पश्चिम में गोंडा से घिरा है तथा उत्तर में सिद्धार्थनगर जिले की सीमा पर स्थित है जिले का कुल क्षेत्रफल 2,688.00 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 2464464 है जिसमे शहरी जनसंख्या 138097 एवं ग्रामीण की 2326267 जनसंख्या निवास करती है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 4 तहसीलों एवं 14 ब्लॉकों में बांटा गया है, जहाँ कुल 1247 ग्राम पंचायतें एवं 3348 गांव शामिल है(https://www-censusindia-co-in/district/basti&district&uttar&pradesh&185)।

ग्रामीण आर्थिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में शताब्दियों की गुलामी ने यहां के ग्रामीण क्षेत्रों व समाज को पूर्ण रूप से जर्जर कर दिया था। इस दौरान समाज में न केवल पारस्परिक सहयोग, सद्भाव, सहभागिता की भावना का लोप हुआ बल्कि जनता और सरकार के मध्य शासन की एक दृढ़ दीवार खड़ी हो गई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भारत में छठी शताब्दी के पश्चात युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता में निरंतर वृद्धि होने के कारण कोई भी शासक ग्रामीण अंचलों की तरफ रुचि नहीं ले सका। ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संपूर्ण व्यवस्था जमीदारों के शोषण का शिकार बनी रही। इस प्रक्रिया के चलते शिक्षा का अभाव, ग्रामीण संरचना व उनके विकास का अभाव बना रहा (देवपुरा,2006)। जिसके परिणाम स्वरुप अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जातिवाद का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया , आर्थिक संपन्नता तो न के बराबर रही इसके कारण मानव जीवन संबंधित सभी तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी जिसका परिणाम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के आगमन एवं विकास की बढ़ती दौर तथा भौतिक सुख–सुविधाओं व संसाधन की कामना ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया जिससे ग्रामीणों की महत्वकांक्षाओ को बढ़ावा मिला, फलस्वरूप इसका प्रभाव ग्रामीणों की मानसिकता पर पड़ा जिससे ग्रामीणों का शहरों की तरफ पलायन तीव्र गति से बढ़ने लगा (सिंह, 2014)। इस दौर ने अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी को कम करने तथा शहरी क्षेत्र में नौकरी के सृजन में योगदान दिया है। आधुनिकीकरण से बड़ी कंपनियां अस्तित्व में आयी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अंचलों में स्थानीय लघु उद्योग समाप्त होते गये। जिसका परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, निर्धनता की समस्या एवं उद्योगों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में होने से विकास में असमानता बढ़ी और जिसके कारण शहरी विकास में वृद्धि व ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास की कमी बनी रही है (सिंह,2018)

भारत की ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011)

क्र.स.	जनसंख्या का विभाजन	सम्पूर्ण संख्या	पुरुषों की संख्या	महिलाओं की संख्या
1.	कुल जनसंख्या	83,37,48,852	42,77,81,058	40,59,67,794
2.	बच्चों की जनसंख्या	12,13,22,865	6,30,84,449	5,82,38,416
3.	अनुसूचित जातियों की जनसंख्या	15,38,50,848	7,91,18,287	7,47,32,561
4.	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	9,40,83,844	4,72,63,733	4,68,20,111
5.	शिक्षित	48,27,93,835	28,13,61,374	20,14,32,461
6.	अशिक्षित	35,09,55,017	14,64,19,684	20,45,35,333
7.	कामगार वर्ग	34,87,43,092	22,68,37,013	12,19,06,079

यही कारण रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियोजन प्रणाली के प्रारंभ से ही भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को सदैव प्राथमिकता दी गई पंचवर्षीय योजनाओं के लागू करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुए जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी धीरे–धीरे वृद्धि हुई है इनमें सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952 एवं परियोजनाओं से गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किये गए। वर्ष 1952 के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख कार्यक्रम वर्ष 1959 में पंचायती राज प्रणाली के रूप में अपनाया गया। वर्ष 1966–1978 में ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कृषि मजदूरों के लिए कार्यक्रम तैयार कर इस वर्ग को आर्थिक गतिशीलता के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाया गया।वर्ष 1978–2000 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक नयी दिशा प्रदान कर वर्ष 1978 में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम प्रारंभ के पश्चात ग्रामीण युवा वर्ग के लिए ट्राइसेम (TRYSEM) कार्यक्रम जो उन्हें स्व–रोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एवं वर्ष 1983 में ग्रामीण भूमिहीन के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम वर्ष 1993–94 में रोजगार आश्वासन योजना 1999–2000 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000–01 में लाया गया इस योजना के बाद भी पूरे देश में सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नही हो सका। तत्पश्चात वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियमश पारित कर 2 फरवरी 2006 से इसे लागू किया गया। नियोजन काल के प्रारंभ से अब तक के दौरान ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम एवं परियोजना आरंभ की गई जिसकी क्रियान्वयन के लिए भारत में विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई विकेंद्रीकरण को लाने का उद्देश्य लोगों

के लिए ऐसी मार्ग बनाया जाए जिसके माध्यम से ग्रामीण लोक प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकें और अपने हितों व आवश्यकता ओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सकें इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने में वर्ष 1990 में संविधान का 73 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना महत्वपूर्ण कदम था इसका उद्देश्य देश के करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायत स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे जिससे ग्रामीण विकास तीव्र गति से होगा (सक्सेना, 2019)।

लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवं मानरेगा योजना

एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अत प्रतिशत समग्र विकास की दृष्टि से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन कार्यक्रमों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005' अर्थात मनरेगा' प्रमुख है इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट, आर्थिक मंदी एवं कोरोना महामारी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है क्योंकि मौजूदा आर्थिक मंदी ने खासतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसरों को काफी कम कर दिया है जिससे मनरेगा के तहत मिलने वाले काम की मांगों में अचानक वृद्धि हुई है।

लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श ही आधुनिक युग में अधिकांश राज्य के कार्यों का आधार है प्रसिद्ध विद्वान अब्राहम के अनुसार,"वह समाज जहाँ राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि सम्पत्ति का अधिक–से–अधिक उचित वितरण हो सके, लोक–कल्याणकारी राज्य कहलाता है। उपयुक्त उद्देश्य से भारत में केंद्र सरकार ने समय पर ग्रामीण विकास के लिए अनेक लोक हितकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है जिसका लाभ सामान्य जनता को मिल रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों में से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' भी एक है।

योजना से नियोजन तक की यात्रा

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय विकास विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2 फरवरी 2006 को 200 जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया वर्ष 2007–08 में 130 और जिले शामिल किए गए तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 से देश के सभी जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया जिसमें उत्तर प्रदेश से बस्ती जनपद भी एक है। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी हस्तक्षेप है और यह ग्रामीण परिवारों के सभी वयस्क महिला और पुरुष वर्ग को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जो कार्यक्रम द्वारा अधिसूचित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक श्रम में संलग्न होने के लिए तैयार हैं (खेड़ा,2011)।इस अधिनियम का उद्देश्य कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना, कृषि के सतत विकास के लिए एक इंजन प्रदान करना, ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मजदूरी दर पर अकुशल श्रमिकों को काम प्रदान करके व्यवसाय करने के नए तरीकों को बढ़ावा देना है।

प्रारंभ में इस कार्यक्रम को 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'2005, 'नरेगा' के नाम से लागू किया गया परंतु वर्ष 2009–10 के दौरान एक संशोधन के माध्यम से नरेगा को "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'' (मनरेगा) नया नाम दिया गया। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम पर आधारित कार्य करने के इच्छुक परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करना है जिसमें गरीब, बेरोजगार एवं अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसमें श्रमिक को उसके निवास स्थल से 5 किलोमीटर के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना होता है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं दिए जाने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार होते हैं। इस प्रकार मनरेगा कार्यक्रम के तहत रोजगार पाना कानूनी अधिकार भी माना जाता है। योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है।

• मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण विकास कर रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है।

• मनरेगा योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी इस परिवार को आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा जिसमें परिवार के सभी सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने में इच्छुक हो उनका नाम पंजीकृत होगा।

• परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जो मजदूरी करने का इच्छुक है योजना के अंतर्गत मजदूरी पा सकता है इसमें बीपीएल या एपीएल का कोई बंधन नहीं है।

• कोई भी व्यक्ति सादे कागज या निर्धारित स्थान पर अपने परिवार के समस्त कार्य करने के इच्छुक सदस्यों के विवरण एवं फोटो सहित अपनी ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

• पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता हेतु जांच कराई जाएगी यदि किसी ने पंजीकरण हेतु गलत तथ्य प्रस्तुत किया है तो कार्यक्रम अधिकारी ध्खंड विकास अधिकारी जांच करके पंजीकरण निरस्त कर सकता है।

• जांच की सत्यता के बाद पंचायत आवेदक को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है।

• जॉब कार्ड एक वैधानिक दस्तावेज है जो 5 वर्ष के लिए मान्य है इसमें पंजीकृत परिवार के समस्त कार्य करने के इच्छुक व सदस्यों के फोटोग्राफ तथा कार्य करने हेतु आवेदन का विवरण अंकित किया जाता है।

• परिवार को ग्राम रोजगार हेतु अपनी ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा प्रार्थना पत्र देने के 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

• रोजगार हेतु इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत से लिखित रूप से काम मांगने पर यदि 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है बेरोजगारी भत्ता किधर 30 दिन तक 1 दिन की मजदूरी का चौथाई भाग तथा 30 दिन के ऊपर 1 दिन की मजदूरी का आधा भाग देय होगा।

• कार्य आरंभ होने की तिथि की सूचना ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक के स्तर पर नोटिस के रूप में लगाई जाएगी।

• वर्तमान में 220 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है।

• रोजगार हेतु कार्य मजदूरों के निवास स्थान से 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर दिया जाएगा यदि कार्य से अधिक दूरी पर होगा तो मजदूरों को 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

• मनरेगा योजना में ठेकेदारी प्रथा एवं मशीनों से कार्य कराए जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा।

मूल्यांकन

बस्ती जिले में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत आने वाले कार्य एवं इसकी प्रक्रिया तथा ग्रामीण अकुशल कार्य करने में सक्षम मनरेगा लाभार्थियों की स्थिति में निर्दिष्ट सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाओं तथा जमीनी स्तर पर हो रहे परिवर्तन का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त करनें के पश्चात यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इस योजना का क्रियान्वयन 100 प्रतिशत नहीं हो सका परंतु कई ग्रामीणों के आय स्रोत बना हुआ है। जब चयनित व्यक्तियों का साक्षात्कार जो मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत लाभार्थी है, के अभिमत जानने का प्रयास किया गया है जिसका मूल्यांकन यह निकला की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थियों के स्थितियों कुछ बदलाव तो हुआ है ,परंतु प्रशासन की निष्क्रियता, ग्राम पंचायत की अपारदर्शिता एवं सरकार की बजट में अनियमितता के कारण यह योजना अपनें उद्देश्यों को साकार नहीं कर पा रही है और न् ही ग्रामीण पलायन को रक पा रही है ।

अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा योजना की प्रासंगिता रू बस्ती जिले में मनरेगा कई परिवारों के आजीविका का साधन बना हुआ है , कृषि संकट और आर्थिक मंदी साथ ही वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों ,असहाय महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है। आर्थिक मंदी के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक प्रभावित किया है और रोजगार के अवसर को काफी कम कर दिया है। जिसके परिणाम स्वरुप शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन ने मनरेगा के तहत मिलने वाले काम की मांग में वृद्धि हुई है । इसके कारण राज्य के समक्ष बजट की चुनौती उत्पन्न हो गई है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। जिसने ग्रामीण श्रम में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब व असहाय परिवारों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है।

यदि बस्ती जिले का मूल्यांकन किया जाए तो न् वहाँ पलायन रुका है और न् ही मनरेगा में अनियमितताएं ,वर्तमान परिदृ श्य में अर्थव्यवस्था लोगों को काम देने में विफल है, ऐसे में मनरेगा स्कीम, काम की गारण्टी की राहत प्रदान करने की संभावना बनाये रखती है। आज के समय में काम ढूंढ़ने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि आयी है। बस्ती जिले के क्षेत्रीय विषय के अंतर्गत चर्चा एवं समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी के तहत वर्तमान में उच्च शिक्षित नागरिक द्वारा भी मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार के मांग किये जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पूरे देश में रोजगार प्रदान करने का एक मजबूत साधन तो है परंतु इसकी क्षमता, समन्वय, बजट, क्रियान्वयन एवं सरकारों द्वारा मूल्यांकन नहीं हो रहा है इसलिए इसका प्रभाव बहुत काम देखनें को मिलता है।

निष्कर्ष

मनरेगा में प्रशासन की निष्क्रियता, पंचायतों की अपारदर्शिता एवं वित्तीय संकीर्णता होने के बावजूद भी इसका अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए की इसे बंद किया जाए बल्कि इस योजना को और दक्ष, समृद्ध, एवं सशक्त बननें की आवश्यकता है। इसके लिए मजदूरी दर बढाई जाए, वार्षिक रूप से पंचायतों में इसके कार्य का मूल्यांकन हो, मजदूरी का भुगतान समय पर हो एवं इसमें पारदर्शिता के पंजीकरण के साथ मजदूरी करनें को अनिवार्य किया जाना चाहिए , तभी इसका क्रियान्वयन सकारात्मक रूप से सफल हो सकेगा और इसके वास्तविक उद्देश्यों को साकार किया जा सकेगा। बस्ती जिला एक ग्रामीण प्रधान जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, बस्ती जिले की 94.39 प्रतिशत आबादी गाँवों के ग्रामीण इलाकों में रहती है। कुल बस्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जिले की जनसंख्या 2326367 है । 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने बस्ती को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक (कुल 640 में से)चयनित किया था। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) लागू किया है। भारत सरकार , उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से गरीब परिवारों की अर्थव्यवस्था में सुधार किये जा रहे हैंद्यजिसमें इस योजना के क्रियान्वयन की संभावना अधिक है इसलिए इसके

व्यावहारिक स्वरूप को साकार करने के लिए प्रशासन के साथ दृ साथ लोगों को भी सक्रियता दिखनी होगी।

REFERENCES

देवपुरा, प्रतापमल, (2006). *ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायतें,* अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,

द्विवेदी,रमेश,प्रसाद,(2015),भारत में जिला नियोजन व्यवस्था एक परिचय,, *इंटरनेशनल जर्नल आफ एडवांस इन सोशल साइंस* वाल्यूम 3 अंक 3

पाठक,कृष्ण,कुमार, (2010),*अमर्त्य सेन का विकास चिंतन,* नई दिल्ली, राज पब्लिकेशन

बग्गा,जी.डी.एस.एवं वैष्णव, आकाश,(2017),मनरेगा रोजगार उन्मुख की योजना का मूलयात्मक अध्ययन, *इंडिया जर्नल अप्लाइड रिसर्च,* वाल्यूम 7 अंक 5

रंजन, अनीता,(2016),*मनरेगा एंड विमेन एंपावरमेंट,* आसफ अली रोड , नई दिल्ली, ओसियन बुक प्राइवेट लिमिटेड,

ड्रेज, जे., सं.,(2010), *रोजगार गारंटी और काम का अधिकार,* नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

शर्मा, महेश,(2010), नरेगा नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन,

सक्सेना,के.बी,(2019), *कंटेंपरेरी प्रैक्टिसज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इनसाइट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट,* नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड,

सिंह, अर्चना. (2014) *भारत में विकास की चुनौतियाँ,* नई दिल्ली, शिवालिक प्रकाशन ,

सिंह,कटार, (2018),*रूरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट* (दूसरा संस्करण) नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

Census 2011 Data & censusindia-gov-in

https://www-censusindia-co-in/district/basti&district&uttar&pradesh&185

www-worldbank-org

https://nrega-dord-gov-in/MGNREGA_new/Nrega_home-asp